संख्याः 1435/79-6-2011

प्रेषक,

इन्द्र राज सिंह,
अनु सचिव।
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
सीतापुर/भदोही/बुलन्दशहर
उत्तर प्रदेश ।

शिक्षा (6) अनुभाग लखनऊः दिनांकः01 दिसम्बर,2011

विषयः मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत कुक कम हेल्पर के मानदेय मद में वित्तीय स्वीकृति निर्गत किए जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण के पत्र संख्या-म0भो0प्रा0/3271/2011-12 दिनांक 19-10-2011 के संबंध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि मध्याह्न भोजन योजनान्तर्गत शासनादेश संख्या-3026/79-6-2009 दिनांक 26-12-2009 के द्वारा कुक कम हेल्पर को रू0 1000/-प्रतिमाह प्रतिरसोइया की दर पर मानदेय के रूप में भुगतान किए जाना निर्धारित किया गया है जिसमें केन्द्रीय सहायता रू0 750/- एवं राज्यांश रू0 250/- प्रति रसोइया होगा । अतएव भारत सरकार द्वारा अवमुक्त केन्द्रांश के सापेक्ष रू0 750/- प्रति रसोइया की दर पर जनपदों द्वारा उपलब्ध करायी गयी संख्या के आधार पर केन्द्रांश के रूप में रू0 317.16 लाख (रूपये तीन करोड़ सत्रह लाख सोलह हजार मात्र) तथा राज्यांश के रूप में रू0 105.72 लाख (रूपये एक करोड़ पांच लाख बहत्तर हजार मात्र) अर्थात कुल रू0 422.88 लाख (रूपये चार करोड़ बाइस लाख अठ्ठासी हजार मात्र) की धनराशि संलग्न विवरण के अनुसार अवमुक्त किए जाने पर श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति इस शर्त के अधीन प्रदान करते हैं कि उक्त धनराशि का व्यय कुक कम हेल्पर को निर्धारित दर से मानदेय अथवा वास्तव में भुगतान किए गये मानदेय, जो भी कम हो, तक सीमित रखा जायेगा।

2- इस धनराशि के लेखों के रख-रखाव की समस्त कार्यवाही जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित करायी जायेगी तथा तीन-तीन माह के अन्तराल में व्यय विवरण/उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशक,मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण को उपलब्ध कराए जाएंगे ।

3- जनपदों द्वारा उक्त मद में प्राप्त वित्तीय स्वीकृति को ग्राम पंचायत के कार्यदायी संस्था होने की स्थिति में मध्यान्ह भोजन निधि में उपलब्ध कराया जाएगा जबकि एनजीओ, वार्ड समिति, महिला समाख्या आदि द्वारा योजना के संचालन की स्थिति में संबंधित कार्यदायी संस्था के इस प्रयोजन हेतु खोले गये खातों में उपलब्ध कराया जाएगा ।

4– मध्यान्ह भोजन निधि तथा कार्यदायी संस्था के बैंक खाते से कुक– कम– हेल्पर को मानदेय का भुगतान चेक के माध्यम से किया जाएगा एवं इस हेतु संबंधित कुक–कम–हेल्पर का बचत बैंक खाता खुलवाया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

5– उक्त मद में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–71 के अधीन लेखा शीर्षक '2202–सामान्य शिक्षा–01–प्रारम्भिक शिक्षा–आयोजनागत–112–विद्यालयों में मध्याह्न भोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं–01–03–कुकिंग लागत आदि (के.75/रा.25–के रा0)–20–सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जाएगा।

6– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सख्या–ई–11–1828/दस–2011 दिनांक 29–11–11 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं ।

संलग्नक–यथोक्त ।

भवदीय,

(इन्द्र राज सिंह)
अनु सचिव।

पृष्ठांकन समसंख्यक(1)तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार,उ0प्र0, इलाहाबाद ।
2– श्रम आयुक्त, उ0प्र0 कानपुर ।
3– निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण,उ0प्र0,लखनऊ।
4– मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, सीतापुर/भदोही/बुलन्दशहर, उत्तर प्रदेश ।
5– वरिष्ठ शोध अधिकारी,शिक्षा विभाग ।
6– नियोजन विभाग अनुभाग–4,उ0प्र0 शासन ।
7– वित्त ई–11 अनुभाग,उ0प्र0 शासन ।
8– बजट अनुभाग–2,उ0प्र0 शासन ।
9– वित्त नियंत्रक,बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद ।
10– संबंधित मण्डलीय सहायक बेसिक शिक्षा निदेशक, उ0प्र0।
11– संबंधित समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,/जिला विद्यालय निरीक्षक उ0प्र0।
12– संबंधित समस्त वित्त एवं लेखाधिकारी, बेसिक शिक्षा विभाग।
13– राज्य परियोजना निदेशक, महिला समाख्या, उ0प्र0 लखनऊ।
14– गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(इन्द्र राज सिंह)
अनु सचिव ।

mdm v

शासनादेश संख्या–1435/79–6–2011 दिनांक 1–12–2011 का संलग्नक

(रू0 लाख में)

जनपद	अवशेष/अतिरिक्त अवधि जिसके लिए स्वीकृतियां प्रस्तावित	रसोइयों की संख्या एवं धनराशि, जो आवश्यक है		अक्टूबर,2011 तक कार्यरत रसोइयों के सापेक्ष अवमुक्त धनराशि		कुल आवश्यकता	आयोजनागत पक्ष से अनुदान संख्या–71 से प्रस्तावित केन्दांश (रू0 750.00 प्रति कुक प्रति माह)	आयोजनागत पक्ष से अनुदान संख्या–71 से प्रस्तावित राज्यांश (रू0 250.00 प्रति कुल प्रति माह)
		संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि			
1	2	3	4	5	6	7=4-6	8	9
सीतापुर	अगस्त,2010 से मार्च,2011 तक	2836	226.88	0	0	226.88	170.16	56.72
भदोही	जुलाई,2011 से अक्टूबर,2011 तक	2334	93.36	174	10.44	82.92	62.19	20.73
बुलन्दशहर	जुलाई,2011 से अक्टूबर,2011 तक	3271	130.84	296	17.76	113.08	84.81	28.27
कुल योग						422.88	317.16	105.72

(इन्द्र राज सिंह)
अनु सचिव।

mdm v